न्यायालय श्री सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बापिणी

राष्ट्रीय लोक अदालत लोहावट

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः– 08/2025

प्रार्थीगणः–

1. दिलीप कुमार सियाग पुत्र श्री सोनाराम
2. पेपादेवी पत्नी श्री सोनाराम

जाति जाट, निवासी पुनासर,
तहसील बापिणी, जिला फलोदी।

बनाम

अप्रार्थीः– श्रीमान् तहसीलदार बापिणी।

उपस्थित –

प्रार्थीगण की ओर से – अधिवक्ता श्री नेनुराम बिश्नोई
अप्रार्थी की ओर से – सरकारी पैरोकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

–::निर्णय::–

दिनांकः– 13/9/25

प्रार्थीगण द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि– तहसील बापिणी के ग्राम पुनासर की सरहद में प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1248 रकबा 4.1925 हैक्टेयर व प्रार्थी संख्या 2 व अन्य खातेदार की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1248/2 रकबा 4.1925 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 1248 के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण का नाम दर्ज करते वक्त राजस्व कर्मचारियों द्वारा भूलवश प्रार्थी संख्या 1 का नाम दलीप कुमार व प्रार्थी संख्या 2 का नाम पेपी देवी व खसरा नम्बर 1248/2 के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी संख्या 2 का नाम पेपोंदेवी दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी संख्या 1 का नाम दिलीप कुमार सियाग व प्रार्थी संख्या 2 का नाम पेपा देवी है। प्रार्थीगण के तमाम दस्तावेज आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक खाता डायरी मतदाता पहचान पत्र इत्यादि में प्रार्थीगण के दिलीप कुमार सियाग व पेपा देवी दर्ज है। उक्त राजस्व रेकर्ड में नाम त्रुटि केवल मात्र राजस्व कर्मचारियों की सद्भाविक भूल के कारण हुई हैं। जो वर्तमान में उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। राजस्व रेकर्ड में रही त्रुटि को लेकर प्रार्थीगण को भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील बापिणी के ग्राम पुनासर की सरहद में प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1248 रकबा 4.1925 हैक्टेयर में प्रार्थीगण के नाम दलीपकुमार पुत्र सोनाराम व पेपी देवी पत्नी सोनाराम के स्थान पर सही नाम

दिलीप कुमार सियाग पुत्र सोनाराम व पेपा देवी पत्नी सोनाराम तथा खसरा नम्बर 1248/2 रकबा 4.1925 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी संख्या 2 का नाम पेपोंदेवी पत्नी सोनाराम के स्थान पर पेपा देवी पत्नी सोनाराम दर्ज कर राजस्व रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

प्रार्थीगण उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। अप्रार्थी की ओर से जवाब मय जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें उल्लेख किया गया कि प्रार्थीगण के सही नाम पेंपा देवी पत्नी सोनाराम व दिलीप कुमार सियाग पुत्र सोनाराम सियाग है। खसरा नम्बर 1248 में दलीप कुमार पुत्र सोनाराम सियाग के स्थान पर दिलीप कुमार सियाग पुत्र सोनाराम सियाग व खसरा नम्बर 1248 व खसरा नम्बर 1248/2 में क्रमशः पेंपी देवी पत्नी सोनाराम व पेंपो देवी पत्नी सोनाराम के स्थान पर पेंपा देवी पत्नी सोनाराम दर्ज किया जाना उचित है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का सही नाम पेंपा देवी पत्नी सोनाराम व दिलीप कुमार सियाग पुत्र सोनाराम सियाग है जो पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात व अप्रार्थी के जवाब से स्पष्ट है, इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम पुनासर के खसरा नम्बर 1248 रकबा 4.1925 हैक्टेयर में दलीप कुमार पुत्र सोनाराम सियाग के स्थान पर दिलीप कुमार सियाग पुत्र सोनाराम सियाग व खसरा नम्बर 1248 रकबा 4.1925 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1248/2 रकबा 4.1925 हैक्टैयर में क्रमशः पेंपी देवी पत्नी सोनाराम व पेंपो देवी पत्नी सोनाराम के स्थान पर पेंपा देवी पत्नी सोनाराम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार बापिणी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
केम्प लोहावट एवं एस.डी.एम. देचू,
जिला फलौदी